

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1090 / 2023

दिनांक : 05.04.2023

सुश्री साक्षी शर्मा (RJ1221), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर को दिनांक 02.02.2023 से 04.02.2023 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 05.02.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री शर्मा की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, (दक्षिण) उदयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/08/2019/2325

दिनांक 05.04.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 583 दिनांक 06.02.2023 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री साक्षी शर्मा (RJ1221), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) उदयपुर ।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, (दक्षिण) उदयपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार